(142)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2044–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 392/14–15/अपील.

हरिओम पिता रामा पाटीदार

निवासी ग्राम सुरपाला तहसील व जिला खरगोन म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

पंकज पिता मनोहर पाटीदार

निवासी ग्राम सुरपाला तहसील व जिला खरगोन म0प्र0 .....अनावेदक

सुश्री तनुजा मलकापुरकर, अभिभाषक–आवेदक

श्री समीर वर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुरपाला स्थित भूमि सर्वे नम्बर 760/2 रकबा 0.040 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी है, उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये साथ ही अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 760/1 व 760/2 की प्रविष्टि में संशोधन चाहा गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15–12–12 को आदेश पारित किया जाकर सर्वे नम्बर 760/1 रकबा 0.040 हेक्टेयर पर आवेदक हरिओम का नाम सर्वे नम्बर 760/2 रकबा 0.040 हेक्टेयर पर अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–3–13 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा नवीन प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12–6–15 को आदेश पारित करते हुये सर्वे नम्बर 760/2 का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–1–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–7–15 एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 12–6–15 निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–12–12 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण दिनांक 21–6–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अधिवक्ता 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं इसलिये निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–12–12 पुनर्जीवित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि उक्त आदेश अनुविभगीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा विधि के सिद्धांतों को समझने में त्रुटि की गई है, क्योंकि जो आदेश अपील में निरस्त कर दिया जाता है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है ।

(3) चूँकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30–7–15 एवं 12–6–15 निरस्त किया जा चुका था तब अपर आयुक्त को प्रकरण आवेदन पत्रों पर विधिवत् कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करना चाहिये था ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश से अनावेदक को वा सहायता दी गई है जो उसके द्वारा चाही ही नहीं गई थी, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तथ्यों का उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलनयोग्य नहीं था ।

(2) चूँकि सीमांकन प्रतिवेदन में ही त्रुटि स्पष्ट हो गई थी अतः तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–12–12 को प्रविष्टि संशोधित करने संबंधी पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश था जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर प्रविष्टि संशोधित करने संबंधी आदेश पारित किया गया था जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–15 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है परन्तु प्रकरण के निष्कर्ष पर अपना अभिमत नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायोचित परिलक्षित नहीं होता है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21–6–2016 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब

का कारण आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 9–2–16 को मिलना बतलाया गया है । यदि यह मान भी लिया जाये कि आवेदक को वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 9–2–16 को प्राप्त हुई तब भी उसके द्वारा दिनांक 21–6–16 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है और बीच की अवधि का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । स्पष्ट है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी समय बाह्य है । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुये आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर